# न्यायालय : राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

**अपील डिक्री / टीए / 4244 / 2002 / उदयपुर**

1. श्रीकाला मीणा
2. श्री सवजी मीणा
   पिता नानजी मीणा
3. श्री प्रीतम सिंह पिता श्री सोमाराम
4. श्री धर्मवीर
5. श्री लक्ष्मण
6. श्री सोहनलाल
7. श्री अमृतलाल
   पिता श्री बदाजी मीणा
   समस्त निवासी टपाणा तहसील खैरवाडा जिला उदयपुर

अपीलाण्टस

**बनाम्**

1. श्री गौतम मीणा पिता श्री भीमा मीणा निवासी टपाणा तहसील खैरवाडा जिला उदयपुर
2. श्री दीता मीणा पिता श्री कोदरा मीणा
3. श्री देवा पिता श्री कोदरा मीणा
4. श्री सवजी पिता श्री कोदरा मीणा
5. श्रीमती थावरी बेवा कोदरा मीणा
   समस्त निवासी रोहनवाडा तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

रेस्पोडेन्ट्स

**खण्डपीठ**
**श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष**
**श्री नत्थूराम, सदस्य**

**उपस्थित :**

श्री अजीत लोढा, अभिभाषक अपीलांटस
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1

## निर्णय

**दिनांक : — 9.5.19**

1. हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **(जिसे आगे " काश्तकारी अधिनियम" कहा जायेगा)** की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर **(जिसे आगे "प्रथम अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा)** द्वारा प्रकरण संख्या 97 / 99 में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा उपखण्डाधिकारी, सलूम्बर **(जिसे आगे "विचारण न्यायालय" कहा जायेगा)** के समक्ष प्रस्तुत वाद निर्णय दिनांक 19.08. 1999 द्वारा अस्वीकार किये जाने पर प्रस्तुत अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का रेस्पोन्डेन्टस/प्रतिवादीगण के विरूद्व विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम टपाणा तहसील खैरवाडा के अन्दर अपीलांट/वादीगण के खातेदारी हक की तथा कब्जे काश्त की आराजी संख्या 291 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा नामी तराला मौजा टपाणा तहसील खैरवाडा में स्थित है जिसके सैटलमेन्ट के दौरान हाल नये नम्बर 607 व 626 है। उक्त आराजी पहले से अपीलांट/वादी नम्बर 1 व 2 के पिता तथा वादी नम्बर 3–7 के दादा नानजी पिता भाणा तथा प्रतिवादी नमबर 1 के पिता व 2–4 के दादा भीमजी पिता भाणा के बराबर हिस्से की थी। नानजी व भीमजी की जायदाद ग्राम टपाणा एवं ग्राम रोहणवाडा तहसील डूंगरपुर में स्थित थी। संवत् 2007 में रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता व रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी नम्बर 2 से 4 के दादा श्री भीमा व वादी नम्बर 1–2 के पिता व रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 3–7 के दादा नानजी ने आपसी समझौता कर खसरा नम्बर 291 की आधी भूमि ग्राम रोहणवाडा की भीमजी के पुत्र कोदरा को मकान बनाने हेतु दे दी जिसकी एवज में भीमजी की आधे हिस्से की भूमि नानजी ने अपने पास रख ली। इस विषय का दस्तावेज बही में भीमजी ने अपने हस्ताक्षर कर सम्पादित करवाया गया। इस प्रकार नानजी तथा अपीलांट/वादी नम्बर 1 व 2 व उनके भाई सोमाराम व बदा आराजी नम्बर 291 की सम्पूर्ण जमीन पर काबिज काश्त कर रहे है और जो भूमि भीमजी के पुत्र कोदरा का मकान हेतु दी थी उसका उपयोग उन्हीं के द्वारा किया जा रहा था। इसलिए आराजी नम्बर 291 की आधी भूमि जिस पर संवत 2007 से अपीलांट/वादीगण के पिता व दादा काबिज थे उसे उनके खाते में दर्ज की जावे तथा आराजी नम्बर 291 की आधी भूमि जो रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 गौतम व कोदर के नाम अंकित है को उनके पुत्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 के नाम हटायी जाकर अपीलांट के नाम दर्ज की जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि वे कथित वाद की भूमि में किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करे, न करावें। उक्त वाद का जबावदावा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा दिया गया जिसमें वाद पत्र को स्वीकार

किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद के कथनों से इंकार कर कथन किया कि उक्त आराजी 291 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है तथा उक्त विवादित आराजी पर आधा–आधा हिस्सा होने के कारण खाते अलग–अलग किये जावे।

उक्त वाद एवं जबावदावे के आधार पर 6 तनकीयात कायम की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.08.1999 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। दौराने अपील अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलांट द्वारा दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है। अपीलीय प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 16.05.2002 से अपीलांट की अपील खारिज कर दी तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के उक्त निर्णय के विरूद्व यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

4. विद्धान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य का विवेचन नहीं किया। विचारण न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गई उसके अनुसार पत्रावली पर पक्षकारान द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय नहीं कर प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं पाये जाने से वाद को खारिज किया जबकि वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में संवत् 2007 की लिखापढी प्रस्तुत की ओर उक्त दिनांक से दोनों पक्षकारान का कब्जा मौके पर साबित किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जमाबंदी में नाम नहीं होने के आधार पर वाद को खारिज कर दिया। अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष नजीरें भी प्रस्तुत की गई किन्तु उनका अवलोकन नहीं किया। केवल आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के संलग्न दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के अभाव में खारिज कर प्राकृतिक साक्ष्य न्याय के सिद्धान्त के विपरीत निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य एवं सबूत उपलब्ध होने पर भी प्रथम अपीलीय

न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित करने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत एवं समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इन्होंने कथन किया कि ग्राम टपाणा की भूमि में रेस्पो0 के पिता का आधा हिस्सा था जिस पर रेस्पो0 काबिज होकर काश्त कर रहे है व यह भूमि रेस्पो0 के हिस्से में आई हुई है। रेस्पो0 के पिता ने कही भी ऐसी बात नहीं की है तुम मेरे पुत्र कोदरा के लिए जमीन दे दो ओर तुम हमारी जमीन रख लो। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में वाद खारिज किया है। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना पत्र विधिसम्मत रूप से खारिज किया है क्योंकि संलग्न दस्तावेज प्रमाणित नहीं थे। कोई साक्ष्य/दस्तावेज नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी ने अपील विधिसम्मत रूप से अपास्त की है। इन्होंने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष वादी ने घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था। वाद में मुख्य आधार यह था कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 251 रकबा 3 बीघा 5 बीस्वा नामी तराला मौजा टपाणा तहसील खैरवाडा में स्थित है जिसके नये ख.नं. 607 व 626 है तथा यह भूमि नानजी व भीमजी के नाम आधी–आधी थी। नानजी व भीमजी भाई थे। दोनों भाईयों की भूमि ग्राम रोहणवाडा तहसील डूँगरपुर में भी थी। आपसी सहमति से भीमजी ने अपनी टपाणा की भूमि नानजी को दे दी व बदले में रोहणवाडा में कुछ भूमि नानजी से प्राप्त कर ली जिसकी लिखा पढी घरेलू बही में की गई। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 ने जबावदावे में सहमति जताई व प्रतिवादी संख्या 1 ने दावे के कथनों से इन्कार किया। विचारण न्यायालय ने निम्न तनकीयात कायम की :–

1. क्या भूमि कथित वाद में आधि भूमि तनहा प्रतिवादी नम्बर 1 गौतम की है ओर दिना देवा सवजी पिता कोदरा का हिस्सा नहीं है ?

बजिम्मे प्रतिवादी गौतम।

2. क्या वाद की क्रम संख्या 3 का लेख अनुसार दरम्यान भीमा व नानजी भूमि का पारस्परिक परिवर्तन नहीं हुआ ?

बजिम्मे प्रतिवादी गौतम के।

3. क्या भूमि वर्णित वाद पर वादीगण सम्वत् 2007 से आराजी कथितवाद पर काबिज काश्त होकर उपज लेते आ रहे है।

4. क्या वाद की क्रम संख्या 3 के लेख अनुसार 2017 के बाद परिवर्तन शुदा भूमि नानजी द्वारा दी हुई वाके ग्राम रोहणवाडा पर श्री कोदरा ने मकान बनाया जिसमें वह और उसका कुटम्ब आज तक वादी रहता रहा ? ..... वादी

5. क्या गौतम प्रतिवादी आपसी विवाद के कारण भूमि कथित वाद वादिगणों के खाते अंकित नहीं करवा रहा है ओर जमीन पर आकर झगडा करता है ? .....जिम्मे वादी

6. क्या प्रतिवादी नम्बर एक गौतमा ने पूर्व के अन्दर विरूद्व वादीगण उसी भूमि के विषय में सर्वकालीन निषेधाज्ञा का व इन्द्राज दुरूस्ती का वाद पेश किया जो बाद कार्यवाही खारीज हुआ जिससे क्रोधित होकर फीर विशेष रूप से जमीन पर आकर झगडा करता है?.....बाजिम्में वादी।

7. वादी किस दाद के पाने का मुश्तहक है ?

8. विचारण न्यायालय में उभयपक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है तथा निर्णय दिनांक 19.08.1999 द्वारा वाद खारिज किया है। विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। वाद इस आधार पर खारिज किया है कि वादीगण द्वारा आधार वर्ष की जमाबंदी की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसे मानने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है क्योंकि वादीगण को असल दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए थे तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2054–57 प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 गौतम का आधा हिस्सा है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने भी प्रकरण में गुणदोष पर कोई विचार नहीं किया है तथा अपील मात्र इस आधार पर अस्वीकार की है कि जो दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत किया गया था, वह फोटो प्रति होने के कारण विचारणीय नहीं है तथा साक्ष्य/सबूत का अभाव है।

9. विचाराधीन प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा महत्त्वपूर्ण कथन किये गए थे तथा भूमि की अदला–बदली का उल्लेख था। वादीगण

द्वारा मूल घरेलू बही भी प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। साक्ष्य के संबंध में कोई विवेचना एवं विश्लेषण नहीं किया गया है। आधार वर्ष की जमाबंदी यदि फोटो प्रति के रूप में थी तो दावे के समय या दावे के विचाराधीन रहने के दौरान कमी पूर्ति कराई जा सकती थी। प्रथम अपीलीय अधिकारी का भी यह दायित्व था कि वे प्रकरण में गुण दोष पर विचार करते या तनकीवार निर्णय हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते। इस प्रकार प्रकरण में विवाद के मूल बिन्दु के संबंध में विधिवत निस्तारण नहीं हुआ है तथा इस हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः तनकीवार विवेचना एवं विश्लेषण सहित निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 1–7–19 को पेश हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नत्थूराम)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष